दिनांक 26.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 38/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.11.2024 को थाना कंकरखेड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान लाला मोहम्मदपुर की तरफ जाने वाले मार्ग पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मोनू उर्फ मोहन 2—शोहेल घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—हारून सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ मोहन थाना कंकरखेड़ा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ मोहन के विरूद्ध जनपद मेरठ, कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनू उर्फ मोहन निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–शोहेल निवासी लावड जनपद मेरठ, हालपता–सुन्दर नगरी आई ब्लाक थाना नंदनगरी, दिल्ली।

3–हारून निवासी डासना, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रामचन्द्र मिशन

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनॉकः 25.11.2024 की रात्रि थाना रामचन्द्र मिशन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोजा अण्डरपास के पास नया सेटेलाइट बस अड्डा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरविन्द कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामचन्द्र मिशन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरविन्द कुमार निवासी मोहल्ला सरायकाइंया थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 25 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.11.2024 को थाना कोतवाली नगर, थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बनवरिया मोड़ के पास से बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अभिनव उर्फ रौनक घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आकाश 3–ऋषभ 4–आदर्श सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 25 हजार 500 रूपये नगद, लूट के 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, मोबाइल फोन लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिनव उर्फ रौनक निवासी नन्दौर पस्का थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

2–आकाश निवासी नन्दौर पस्का थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

3–ऋषभ निवासी न्यू मेवतियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

4–आदर्श निवासी परसोहना डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–लूट के 25 हजार 500 रूपये नगद।

2–लूट के 02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन।

4–01 मोटर साइकिल।

5–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लूट के 21 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 26.11.2024 को थाना कोतवाली कर्वी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवरहा तालाब महुआ गांव के पास से 02 अभियुक्तों 1–रहीस 2–कल्लू को गिरफ्तार कर हत्या सहित लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, लूट के 21 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.11.2024 को थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या सहित लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रहीस निवासी कुर्मिन का पुरवा जजौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।

2—कल्लू निवासी कुर्मिन का पुरवा जजौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1—लूट के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—लूट के 21 हजार रूपये नगद आदि।

एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट बरेली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 806 ग्राम अवैध हेरोईन/स्मैक व 175 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर**
- **22 हजार 20 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 25.11.2024 की रात्रि ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट बरेली टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेवती फाटक के पास कुसुमरा गॉव के मोड़ थाना आंवला जनपद बरेली से अभियुक्त नन्हे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 806 ग्राम अवैध हेरोईन/स्मैक व 175 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर, 22 हजार 20 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना आंवला जनपद बरेली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नन्हे निवासी ग्राम लच्छमपुर थाना आंवला जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 806 ग्राम अवैध हेरोईन/स्मैक व 175 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर।

2–22 हजार 20 रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना शाहगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 03 लाख 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना शाहगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)एफ/376(2)एन/376(3)/312/318/506 भादवि व 5जे(2)/6, 5एल, 5एन/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेश को आजीवन कठोर कारावास व 03 लाख 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना बांसगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना बांसगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रभात कुमार उर्फ रंजीत 2–राबिन को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अहिरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10—10 वर्ष के कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अहिरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—गोपाल 2—सुरेश कुमार को 10—10 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना औंग (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना औंग पर पंजीकृत अभियोग में धारा 15(2), 15(4) पेट्रोलियम एवं मिनरल पाइप लाइन एक्ट संशोधित अधिनियम—2011 के अन्तर्गत अभियुक्त वंशीलाल उर्फ फौजी उर्फ ताऊ उर्फ इंजीनियर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 400 कि0ग्रा0 गॉजा (अंतर्रराष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड़)।

दिनॉक: 26–11–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 400 किलोग्राम गॉजा बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1. महेश मिश्रा पुत्र श्री रमाशंकर मिश्रा, निवासी धौरहरा, थाना हण्डिया, जनपद प्रयागराज

बरामदगी :–

1– 400 किलोग्राम अवैध गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड़)।

2– 01 अदद ट्रक यूपी 70, जीटी–9837

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

4 01 अदद डीएल

5– 01 अदद एसबीआई एटीएम कार्ड

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–

दिनाँक–26–11–2024 समय 10.50 प्रातः । डॉफी टोल प्लाजा से प्रयागराज की तरफ जाने वाली सर्विस रोड पर, कमिश्नरेट वाराणसी।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम जनपद वाराणसी में आपराधिक सूचना संकलन में मौजूद थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से

ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति उडीसा राज्य से गांजे की बड़ी खेप ट्रक नं0– यूपी 70, जीटी–9837 से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर पंजाब जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर, स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर डाफी टोल प्लाजा पर इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद मुखबिर द्वारा बताया गया ट्रक बिहार की तरफ से आता दिखाई दिया जिसे रोककर चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में गॉजा पाया गया, जिस पर उसे कब्जे में लेते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है। गिरोह के सदस्य उडीसा राज्य से गांजे की बड़ी खेप लाकर महाराष्ट्र एवं पंजाब के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं और इसका एक साथी दिल्ली तिहाड जेल में बंद हैं। उसके जेल जाने के बाद यह अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्कारी का काम कर रहा है। अवैध मादक पदार्थ गांजा को उडीसा से पंजाब पहुॅचाने के लिए प्रति कुण्टल 1,25,000 रूपये मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी में मु0अ0सं0 474/2024 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराकर दाखिल कियाा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–थाना व जनपद भदोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 25/2006 में 18 वर्ष से फरार/वांछित एवं रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सतीश, थाणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार।

दिनांक–25–11–2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना व जनपद भदोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0–25/2006 धारा–395/397/307 भादवि व थाना भेलूपरु जनपद वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 476/2007 धारा 364ए भादवि में वांछित एवं रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सतीश को थाणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>ः–

सतीश उर्फ अजीत पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी आलमपुर थाना बारा सगवर जनपद उन्नाव, हालपता–परवेन्दर दुबे का किराए का मकान, आजाद नगर, ब्रम्हाण्ड मढ़वाली थाणे, महाराष्ट्र।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>ः–

ऑफिस श्री विल्टेक यूनिट नं0 702 यूनाइटेड विजनेस पार्क प्लाट नं0 ए–40 रोड नं0 11 एमआईडीसी बागले इस्टेट थाणे महाराष्ट्र थाना क्षेत्र वागले इस्टेट थाणे, महाराष्ट्र। दिनांकः 25–11–2024, समय 18:30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव, एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

वाराणसी टीम द्वारा थाना व जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0–25/2006 धारा– 395/397/307 भादवि में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी तथा थाना भेलूपरु जनपद वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 476/2007 धारा 364ए भादवि में वांछित अभियुक्त सतीश की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सतीश महाराष्ट्र थाना क्षेत्र वागले इस्टेट थाणे में कहीं छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर उप निरीक्षक श्री शहजादा खॉ, मुख्य आरक्षीगण विनय मौर्या, सत्यपाल, दिलीप कश्यप, आरक्षी रवि सिंह व आरक्षी चालक राजकुमार की एक टीम थाणे, महाराष्ट्र रवाना हुई तथा गठित टीम ऑफिस श्री विल्टेक यूनिट नं0 702 यूनाइटेड विजनेस पार्क, प्लाट नं0 ए–40, रोड नं0 11, एमआईडीसी वागले इस्टेट थाणे, महाराष्ट्र पहुॅचकर मुखबिर की निशादेही अभियुक्त सतीश उर्फ अजीत उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सतीश उर्फ अजीत उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं ग्राम आलमपुर थाना बारा सगवर, जनपद उन्नाव का मूल निवासी हूॅ तथा कक्षा–08 तक पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा, जहॉ पर जनपद भदोही का भी लड़का काम कर रहा था, जिससे मेरी दोस्ती हो गयी। इसके बाद मैं अपने साथी के साथ भदोही आया और ज्ञानपुर जेल के पास उसके घर गया, जहॉ पर एक दिन रूका और चोरी की मारूति कार बेंचकर 50–50 हजार रूपया मिलने की बात होने लगी। हम लोग चोरी की मारूति कार ले जा रहे थे कि रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया और जेल भेज दिया, जहॉ पर तीन महीने रहा। उसी दौरान जेल में ही दीपक सिंह बेहड़ा से मेरी जान पहचान हुई। चूॅकि मारूति कार इलाहाबाद से चोरी हुई थी इसलिए बाद में मेरा ट्रान्सफर इलाहाबाद जेल हो गया, जहॉ पर 10–15 दिन तक जेल में रहा और उसके बाद मेरे घर वाले जमानत पर छुडवा लिए तथा दीपक सिंह बेहड़ा व उसके साथी करीब 05–06 माह बाद छूटे तब मैं उसके वकील से नम्बर लेकर दीपक सिंह बेहड़ा के यहॉ गया, जिससे मेरी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई। उसके घर 10 दिन तक रूका था। इसके बाद मै दीपक सिंह से मोबाइल पर बात किया करता था। जब मैं दिल्ली में था तब दीपक सिंह ने कहा कि एक आदमी का अपहरण करना है तुम्हे तीन लाख रूपया मिलेगा। इसके बाद मैं अपने साथी दीपक सिंह से मिलने गया, जहॉ पर मेरी मुलाकात उमेश पहलवान से हुई, जो दीपक सिंह के साथ ही रहता था।

वर्ष 2007 में दीपक सिंह के कहने पर मैं उसके गॉव आया और सर्वेश के यहॉ रहा तथा तीन चार दिन बाद बोलेरो से अपने अन्य साथियों के साथ एक लड़के का वाराणसी से अपहरण कर ले आये और सर्वेष के घर पर अपने तथा उमेश पहलवान के संरक्षण में रखा, जिसे बाद में लड़के के साथ सर्वेश को पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय मै तथा उमेश पहलवान भाग गये थे। मैं भागकर अपने भाई दिलीप के यहॉ चला गया, जो लखनऊ में गाड़ी चलाता है, जिसके यहॉ कुछ दिन तक रहा। फिर मै सतना चला गया और हनुमान नगर नई बस्ती में आनन्द द्विवेदी के यहा किराये का कमरा लेकर कपड़ा सिलने का काम करने लगा और लगभग 08–10 साल तक रहा। उसी दौरान कंचन सेन से मेरा प्रेम सम्बन्ध हो गया था और इसके बाद मै मुम्बई चला गया

और गाड़ी चलाने लगा, फिर कंचन सेन को बुलाकर मन्दिर में शादी कर लिया और आजाद नगर ब्रम्हाण्ड मढ़वाली थाणे महाराष्ट्र में परवेन्दर दुबे के मकान में किराए का कमरा लेकर सपरिवार रहने लगा। मेरे ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज था लेकिन मै हाजिर नही हुआ। सतना में रहने के दौरान जब आधार कार्ड बन रहा था उस समय मैने अपना नाम सतीश कोरी के बजाय सतीश तिवारी और वही का पता लिखवाया था। मैं अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था, जिससे सतना एवं मुम्बई में लोग मुझे सतीश तिवारी के नाम से ही जानते है। मुझे बाद में जानकारी हुई कि दीपक सिंह व उमेश पहलवान पुलिस मुठभेड़ में मारे गये है और अन्य साथियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

वर्ष 2006 में ग्राम गजिया स्थित भारतीय स्टेट बैंक जनपद भदोही में अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भदोही में अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें कुछ साथीगण गिरफ्तार होकर जेल गये थे तथा कुछ पुलिस मुठभेड़ में मारे गये थे तथा मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम बदल कर इधर–उधर लुक छिप कर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त सतीश उर्फ अजीत उपरोक्त को थाना व जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0–25/2006 धारा 395/397/307 भादवि में ऑफिस श्री विल्टेक यूनिट नं0 702 यूनाइटेड विजनेस पार्क प्लाट नं0 ए–40 रोड नं0 11 एमआईडीसी बागले इस्टेट थाणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर थाना क्षेत्र वागले इस्टेट थाणे महाराष्ट्र में दाखिल किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय प्रथम वर्ग कक्ष सं0–01 थाणे, महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त सतीथ उर्फ अजीत उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास</u> :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01.	25/2006	395/397/307 भादवि **(वांछित/पुरस्कार घोषित)**	भदोही	भदोही
02.	476/2007	364ए भादवि **(वांछित)**	भेलूपुर	वाराणसी
03.	70/2010	110 जी सीआरपीसी	भदोही	भदोही

———————